न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : रा. टेनेन्सी [illegible] बनाम [illegible]
प्र. 58/2005

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16.7.18	पत्रावली पेश हुई। राजकीय अभिभाषक उप०। वैकल्पिक प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने की राय से माननीय राजस्व मण्डल राज०, अजमेर को भेजे जाने के आदेश दिये जाते हैं। विस्तृत निर्णय लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। मूल पत्रावली नियत दिनांक 28-8-2018 से पूर्व भेजी जावे। दि० 28.8.2018 को प्रात 11.00 बजे मा०रा०म० राजस्थान, अजमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो बाद निर्णय मय इन्द्राज खुलासा गया। [signature] **अति. कलक्टर (द्वितीय)** **जयपुर**	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 58/2005

सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. छीतर पुत्र मोहना, जाति–मीणा, निवासी–नांगललाड, तहसील–चाकसू (मृतक)।
   1/1 फैलीराम पुत्र स्व0 श्री छीतर, निवासी–नांगललाड, तहसील–चाकसू।
   1/2 कमली देवी पुत्री स्व0 श्री छीतर पत्नी श्री प्रभु, जाति–मीणा, निवासी–काचरिया, तहसील–निवाई, जिला–टोंक।
2. लच्छू पुत्र मोहना, जाति–मीणा, निवासी–नांगललाड, तहसील–चाकसू (मृतक)।
   2/1 रामलाल पुत्र स्व0 श्री लच्छू, जाति–मीणा, निवासी–नांगललाड ।
   2/2 श्योजी पुत्र स्व0 श्री लच्छू, जाति–मीणा, निवासी–नांगललाड ।
   2/3 बाबूलाल स्व0 श्री लच्छू, जाति–मीणा, निवासी–नांगललाड ।
   2/4 नानगी पत्नी स्व0 श्री लच्छू, जाति–मीणा, निवासी–नांगललाड।
   2/5 फूला देवी पुत्री स्व0 श्री लच्छू पत्नी देवनारायण मीणा, निवासी–ग्राम सवाई जयसिंहपुरा, ग्राम पंचायत बापूगांव, तहसील–चाकसू, जयपुर।
   2/6 कानी देवी पुत्री स्व0 श्री लच्छू पत्नी बद्रीनारायण, निवासी–बीड़ पिनारपुरा, ग्राम पंचायत बडौदिया, तहसील–चाकसू, जयपुर।
   2/7 मन्नी देवी पुत्री स्व0 श्री लच्छू पत्नी हरिनारायण, निवासी–महारामपुरा, ग्राम पंचायत बापूगांव, तहसील–चाकसू, जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थिति :–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 16.07.2018

तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–भीकरवाडा की आराजी खसरा नं0 92 रकबा 17 बिस्वा, आ0ख0 नं0 110 रकबा 03 बिस्वा, आ0ख0

नं0 111 रकबा 15 बिस्वा, आ0ख0 नं0 112 रकबा 16 बिस्वा, आ0ख0 नं0 113 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 05 रकबा 02 बीधा 15 बिस्वा माफी मन्दिर श्री सालगराम जी वाके देह वहतमाम पुजारी बदरीनारायण वल्द मथुरालाल कौम ब्राहम्ण साकिन देह मु0 कदीम खुदकाश्त खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2008–2023 में दर्ज थी। भूमि एकीकरण सम्वत् 2021 में आराजी खसरा नम्बर 110 रकबा 03 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 111 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 18 बिस्वा परिवर्तित होकर खसरा नम्बर 33 रकबा 03 बीधा 02 बिस्वा बने। एकीकरण में यह आराजी मन्दिर के नाम से हटाकर छीतर लच्छू पि0 मोहना, जाति–मीणा, निवासी–नांगललाड के नाम दर्ज कर दी गई। एकीकरण में निजी खातेदारी दर्ज होने के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 में छीतर, लच्छू पि0 मोहना जाति–मीणा के नाम दर्ज हैं और खसरा नम्बर 179 दर्ज है। एकीकरण विभाग को माफी मन्दिर की भूमि अन्य किसी को हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं था। मूर्ति शाश्वत् नाबालिग हैं। अतः मूर्ति की आराजी का हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरित हैं। मूर्ति की आराजी को बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये अप्रार्थीगण के नाम हस्तानान्तरित कर दी गई हैं जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। अतः विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर सालगराम जी वाके देह खुदकाश्त के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। फौतगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कायमी–मुकामान को रिकार्ड पर लिया गया। कायमी–मुकामान बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम–भीकरवाडा की आराजी खसरा नं0 92 रकबा 17 बिस्वा, आ0ख0 नं0 110 रकबा 03 बिस्वा, आ0ख0 नं0 111 रकबा 15 बिस्वा, आ0ख0 नं0 112 रकबा 16 बिस्वा, आ0ख0 नं0 113 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 05 रकबा 02 बीधा 15 बिस्वा माफी मन्दिर श्री सालगराम जी वाके देह वहतमाम पुजारी बदरीनारायण वल्द मथुरालाल कौम ब्राहम्ण साकिन देह मु0 कदीम खुदकाश्त खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2008–2023 में दर्ज थी । भूमि एकीकरण सम्वत् 2021 में आराजी खसरा नम्बर 110 रकबा 03 बिस्वा,

आराजी खसरा नम्बर 111 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 18 बिस्वा परिवर्तित होकर खसरा नम्बर 33 रकबा 03 बीधा 02 बिस्वा बने। एकीकरण में यह आराजी मन्दिर के नाम से हटाकर छीतर लच्छू पि0 मोहना, जाति–मीणा, निवासी–नांगललाड के नाम दर्ज कर दी गई। एकीकरण में निजी खातेदारी दर्ज होने के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 में छीतर, लच्छू पि0 मोहना जाति–मीणा के नाम दर्ज हैं और खसरा नम्बर 179 दर्ज है। एकीकरण विभाग को माफी मन्दिर की भूमि अन्य किसी को हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं था। मूर्ति शाश्वत् नाबालिग हैं। अतः मूर्ति की आराजी का हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरित हैं। मूर्ति की आराजी को बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये अप्रार्थी के नाम हस्तानान्तरित कर दी गई हैं जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। अतः विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर सालगराम जी वाके देह खुदकाबिज के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने विद्वान राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) सम्वत् 2008–2023 के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी इसके कॉलम सं0 04 नाम उपभोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर सालगराम जी वाके देह वहतमाम पुजारी बदरीनारायण वल्द मथुरालाल कौम ब्राहम्ण साकिन देह मु0 कदीम व कॉलम सं0 05 नाम काश्तकार में खुदकाबिज दर्ज थी और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तमान में देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाश्त भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी मन्दिर सालगराम जी वाके देह खुदकाबिज के नाम दर्ज विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कृषि कार्य

करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत् प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर सालगराम जी वाके देह खुदकाबिज दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में किसी काबिज काश्तकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी मन्दिर सालगराम जी वाके देह खुदकाबिज के नाम दर्ज भूमि का इन्द्राज एकीकरण में सम्वत् 2021 में निजी खातेदारी में दर्ज किये जाने के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 में अप्रार्थीगण के नाम, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर सालगराम जी वाके देह खुदकाबिज के नाम दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में दिनांक 28.08.2018 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/7/18

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर